संख्या-08 /2021/129/12-5-2021-ब-2/2021

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक: 16 फरवरी, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-कृ०र०/1466/लेखा/पौध संरक्षण/2020-21, दिनांक 25.01.2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा के मानक मद 49- चिकित्सा व्यय में रू० 30.00 लाख एवं 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष में रू० 50.00 लाख अर्थात कुल रू० 80.00 लाख (रू० अस्सी लाख मात्र) की धनराशि विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा न ही देयता सृजित की जायेगी।

5- जिस मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा। इससे इतर मद में धनराशि का व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

6- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

7- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03- पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा के मानक मद 03-मंहगाई भत्ता में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03- पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा के मानक मद 49- चिकित्सा व्यय एवं 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष के नामे डाला जायेगा।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020, 07 अप्रैल, 2020, 11 अप्रैल, 2020 एवं 18 मई, 2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा क्रय एवं निविदा संबंधी शासकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 08/2021/129(1)/12-5-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)- प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

प्रपत्र—बी०एम०—09 (भाग—1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर—151)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम—11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) वित्तीय वर्ष 2020—2021
प्रपत्र बी०एम०—09

(धनराशि लाख रु० में)

निम्नलिखित मदों से प्रस्तावित समर्पण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (पूर्ण विस्तृत कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर वास्तविक व्यय	समर्पित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा समर्पण हेतु अनुमोदित धनराशि	समर्पण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2401 00 107 03 00 2401—फसल कृषि कर्म 107—वनस्पति संरक्षण, 03—पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा					
03—मंहगाई भत्ता	2530.99	192.58	192.58	80.00	2450.99
योग	2530.99	192.58	192.58	80.00	2450.99

निम्नलिखित मदों में प्रस्तावित संवर्धन				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (पूर्ण विस्तृत कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संवर्धन हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संवर्धन की धनराशि	संवर्धन के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8-11)
7	8	9	10	11	12
2401 00 107 03 00 2401—फसल कृषि कर्म 107—वनस्पति संरक्षण, 03—पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा					
49 चिकित्सा व्यय	35.00	165.00	130.00	30.00	65.00
52—पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	0.00	62.58	62.58	50.00	50.00
योग	35.00	227.58	192.58	80.00	115.00

~~(रु० एक करोड़ बानबे लाख अट्ठावन हजार मात्र)~~

1—स्तम्भ—3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है— (रु० अस्सी लाख मात्र)
(अ) वास्तविक माँग के आधार पर बचत है।

2—स्तम्भ—8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ—9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है

(अ) 49—चिकित्सा एवं 52—पुनरीक्षित वेतन का अवशेष मद में वास्तविक माँग अधिक होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु आवश्यकता से कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण।

3—प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या—150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/मार्गनिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आ०व्य०-349/ई-1-दस-2021, दिनांक: 05/02/2021
प्रेषित :
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव (कृषि)
उत्तर प्रदेश शासन।

(पूर्णिमा नेगी श्रीवास्तव)
अनु सचिव
वित्त विभाग।

~~(नीलेश कुमार सिंह)~~
~~संयुक्त सचिव~~
~~वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।~~

संख्या–   / 12–5–2021, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4– वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (बी0एम0–9 तीन प्रतियों में)।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1
8– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।
